



2026:AHC:33835

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या- 1342 सन् 2026

प्रवीण कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आदित्येंद्र सिंह, विनोद कुमार सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, दीपक सिंह

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्येंद्र सिंह और भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक सिंह (ए/डी0183/2015) को सुना।

2. श्री दीपक सिंह द्वारा निर्देशों को दिया गया, प्रस्तुत किया कि वह निर्देशों से भलीभाँत परिचित हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निपटारे के लिए पर्याप्त हैं। वह आगे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और एसएसएफ में कांस्टेबल (जीडी), असम राइफल में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (डीवी/डीएमई) में भर्ती के लिए विज्ञापन दिनांकित 05.09.2024 के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 29.08.2025 को आयोजित शारीरिक परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वह शारीरिक परीक्षा में सफल रहा और उसे 01.12.2025 को विस्तृत परीक्षा के लिए बुलाया गया। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में उसे दाहिनी आंख(6/12) और बाईं आंख (6/9) में दूर दृष्टि की कमी के आधार पर अयोग्य पाया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता अगले दिन अर्थात् 02.12.2025 को आयोजित समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) में उपस्थित हुआ, जिसमें पाया गया कि याचिकाकर्ता को इसलिए अनुपयुक्त माना गया क्योंकि उसकी दाहिनी आंख(6/12) और बाईं आंख (6/9) में दूर दृष्टि की कमी थी। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उसने स्वयं जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से

2

19.12.2025 को चिकित्सकीय जांच करवाई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के अनुसार, दाहिनी आंख में कोई विसंगति नहीं पाई गई, क्योंकि उसकी दृष्टि 6/6 थी और बाईं आंख में 6/6। अतः प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता की पुनः जांच करने का निर्देश देने हेतु यह रिट याचिका दाखिल की गई है।

4. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष सीएमओ (एस० जी०)/मेडिसिन स्पेशलिस्ट, पीठासीन अधिकारी, आरएमई बोर्ड, कांस्टेबल (जीडी), भर्ती 2025 दिनांकित 09.02.2026 के हस्ताक्षर वाले निर्देश प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने जवाहरलाल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से अपने पक्ष में रिपोर्ट प्राप्त कर ली है, इससे डीएमई और आरएमई की प्रामाणिकता और वास्तविकता संदिग्ध नहीं हो जाती। इसके लिए डब्लू.पी. (सी) संख्या 15804 सन् 2025 और सीएम एपीपीएल संख्या 64751 सन् 2025 (नाओमी नेइजूजम हाओकिप बनाम राज्य चयन आयोग एवं अन्य) में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये एक निर्णय का उद्धरण दिया गया है जो 14.10.2025 को निर्णीत किया गया था।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुना और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

6. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने दिनांकित 05.09.2024 के विज्ञापन के अनुसार कांस्टेबल (जीडी) के पद के लिए भर्ती आवेदन किया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और शारीरिक परीक्षा 28.08.2025 को आयोजित की गई थी। हालांकि, 01.12.2025 को आयोजित चिकित्सा परीक्षण में दाहिनी आंख की दूरदृष्टि 6/12 और बाईं आंख की 6/9 कम पाई गई, और 02.12.2025 को आयोजित पुनः चिकित्सा परीक्षण में दाहिनी आंख की दूरदृष्टि 6/12 और बाईं आंख की 6/9 कम पाई गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपना चिकित्सा परीक्षण कराया था जिसकी प्रति उपाबंध-6 पृष्ठ 27 पर है, प्रासंगिक अंश पृष्ठ 28 पर है, जिसमें यह राय दी गई थी कि बाईं आंख की दूरदृष्टि 6/6 और दाहिनी आंख की दूरदृष्टि 6/6 थी। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने पुनः चिकित्सा परीक्षण के लिए इस न्यायालय में आया है।

3

7. वास्तव में, यह कोई सामान्य नियम नहीं है कि जब भी कोई उम्मीदवार पुनः परीक्षा की मांग करे, तो उसे आयोजित किया जाए। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, इस न्यायालय के लिए पुनर्परीक्षा के लिए एक सामान्य निर्देश जारी करना भी उचित नहीं है।

8. उक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जो प्रासंगिक होगा वह यह है कि याचिकाकर्ता का यह दावा नहीं है कि डीएमई और आरएमई उन व्यक्तियों द्वारा आयोजित किए गए थे जो विशेषज्ञ नहीं थे या जिन्हें उक्त विषय का ज्ञान नहीं था। याचिकाकर्ता द्वारा ओपीडी रोगी के रूप में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से रिपोर्ट प्राप्त करने का यह आधार प्रत्यर्थीगण को डीएमई और आरएमई की रिपोर्ट को अप्रासंगिक नहीं ठहरा सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय को उन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जो विशेषज्ञों से संबंधित हैं, विशेष रूप से चिकित्सा से संबंधित पहलू।

9. अतः, पैरा 15 और 16 इस प्रकार हैं:

“15 जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एक प्रतिष्ठित संस्थान है और उनके द्वारा एक स्वतंत्र रिपोर्ट दी गई है।”

16. अब दिनांकित 01.12.2025 और 02.12.2025 की डीएमई और आरएमई की सटीकता पर संदेह है, क्योंकि एक प्रतिष्ठित संस्थान की स्वतंत्र रिपोर्ट उपलब्ध है जिसमें याचिकाकर्ता की दृष्टि को सामान्य घोषित किया गया है, न कि दोषपूर्ण।

10. उक्त कथन रिपोर्ट पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकते।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाओमी नेजौजम हाओकिप (उपरोक्त) में निम्नलिखित संप्रेक्षण किया है:

“1. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए दाखिल की गई है:

ए. दिनांकित 24.09.2025 समीक्षा चिकित्सा परीक्षण के परिणाम को रद्द करने का आदेश पारित किया जाए।

बी. यह आदेश पारित किया जाए कि याचिकाकर्ता की दृष्टि संबंधी जांच, जैसा कि एनडीएमसी चरक पालिका अस्पताल द्वारा निर्धारित किया गया है, को एसआई सीपीओ परीक्षा 2024 के विस्तृत चिकित्सा परीक्षण/ समीक्षा चिकित्सा

4

परीक्षण के उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता की सही नेत्र/दृष्टि माना जाए।

सी. या वैकल्पिक रूप से, यह निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता के दृष्टि की जांच

माननीय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य सार्वजनिक अस्पताल में की जाए न्यायालय और उसके परिणाम को एसआई सीपीओ परीक्षा 2024 के विस्तृत चिकित्सा परीक्षण/ समीक्षा चिकित्सा परीक्षण के उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता की सही नेत्र/दृष्टि माना जाए सही माना जाए।

डी. न्याय हित में उचित और उपयुक्त समझे जाने वाला कोई अन्य आदेश पारित करें।”

2. संक्षेप में, वर्तमान याचिका के तथ्य यह हैं कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक (जीडी) और दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पदों पर भर्ती हेतु प्रत्यर्थी 1 द्वारा एक अधिसूचना दिनांकित 04.03.2024 को जारी की गई थी। याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया में उसे रोल नंबर 22010114163 आवंटित किया गया।

3. भर्ती प्रक्रिया चार चरणों में आयोजित की गई थी, अर्थात् पेपर I (प्रारंभिक), शारीरिक मानक परीक्षण/शारीरिक योग्यता परीक्षण 2, पेपर II (मुख्य) और अंत में, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई)। याचिकाकर्ता ने पहले तीन चरणों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर डीएमई में भाग लिया, जिसमें दोनों आंखों में 6/9 की दृष्टि दोष के कारण याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद, 24.09.2025 को एक समीक्षा चिकित्सा परीक्षा 4 आयोजित की गई, जिसमें भी याचिकाकर्ता को दोनों आंखों में 6/9 की दृष्टि दोष के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया।

4. उपरोक्त निष्कर्षों से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने 3 अक्टूबर, 2025 को एनडीएमसी चरक पालिका अस्पताल, मोती बाग-15 के नेत्र रोग विभाग में एक और नेत्र परीक्षण कराया, जहां उसकी दोनों आंखों की दृष्टि 6/6 दर्ज की गई। इसके आधार पर याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी 1 को 11 अक्टूबर, 2025 को चरक पालिका अस्पताल के अभिलेख संलग्न करते हुए पुनर्विचार हेतु एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, हालांकि, प्रत्यर्थी की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

5. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने पेपर I, पीएसटी/पीईटी और पेपर II सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिए थे और इसलिए उसे डीएमई के लिए बुलाया गया था, जहाँ याचिकाकर्ता को अनचित और अवैध तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इस प्रकार वह आरएमई में उपस्थित हुआ। याचिकाकर्ता आरएमई के परिणाम को चुनौती देते हुए आरोप लगाता है कि दोनों आंखों में दृष्टि दोष के कारण उसे गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि डीएमई और आरएमई के दौरान किए गए नेत्र परीक्षण पूरी तरह से जल्दबाजी में किए गए थे और इसलिए परिणाम त्रुटिपूर्ण हैं

5

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता चरक पालिका अस्पताल में किए गए नेत्र परीक्षण की रिपोर्ट पर भरोसा करता है, जहाँ उसकी दोनों आँखों की दृष्टि 6/6 दर्ज की गई थी, जिसे पूरी तरह से सामान्य माना जाता है।

6. हमने याचिकाकर्ता के प्रस्तुतीकरण पर विचार किया और अभिलेख पर मौजूद सामग्री की जांच की है।

7. यह ध्यान देने योग्य है कि 04.03.2024 की परीक्षा अधिसूचना के पैरा 12.11.2 के अनुसार, दृष्टि के लिए चिकित्सा मानक न्यूनतम निकट दृष्टि के रूप में एन6 (बेहतर आंख) और एन9 (कमजोर आंख) निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, न्यूनतम दूर दृष्टि दोनों आंखों की 6/6 (बेहतर आंख) और 6/9 (कमजोर आंख) होनी चाहिए, बिना किसी सुधार (जैसे चश्मा या सर्जरी) के। संदर्भ के लिए, यह उल्लेख किया गया था कि दाएं हाथ के व्यक्ति के लिए, दाहिनी आंख बेहतर आंख होगी और इसके विपरीत भी।

8. इस संदर्भ में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा कर्मचारी चयन आयोग बनाम अमन सिंह 6 के मामले में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें से एक न्यायाधीश (न्यायमूर्ति सी हरि शंकर) ने लिखा था। इसमें 6 2024 एससीसी ऑनलाइन डेल 7600 में इसी तरह के एक मुद्दे की जांच की गई थी और न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि चिकित्सा अधिकारी ही यह आकलन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम हैं कि क्या कोई संभावित उम्मीदवार पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करता है और ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का क्षेत्र सीमित है। की गई टिप्पणियों का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

10.38 हमारी राय में, निम्नलिखित सिद्धांत लागू होंगे:

(i) सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों या पुलिस जैसी अंतरेक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित अनुशासित बलों में भर्ती के मामले में लागू होने वाले सिद्धांत सामान्य नागरिक भर्ती पर लागू होने वाले सिद्धांतों से भिन्न हैं। योग्यता के मानक और आयोजित की जाने वाली परीक्षा की कठोरता निस्संदेह उच्च और अधिक सख्त होती है।

(ii) मेडिकल बोर्ड या समीक्षा मेडिकल बोर्ड के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा या न्यायिक हस्तक्षेप पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। उचित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

(iii) सामान्य सिद्धांत निस्संदेह सावधानी का है। न्यायालय को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें न तो ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें चिकित्सा का गहन ज्ञान हो, और न ही वे उस बल की आवश्यकताओं से अवगत हों जिसमें संबंधित उम्मीदवार प्रवेश चाहता है। यह अकाट्य अनुमान है कि न्यायाधीश चिकित्सक या चिकित्सा, उपचार या चिकित्साय स्थितियों की पेचीदगियों से परिचित व्यक्ति नहीं होते हैं। इसलिए, उन्हें इस संबंध में अधिकारियों के निर्णयों

6

का सम्मान करना चाहिए, विशेष रूप से उन मेडिकल बोर्डों के निर्णयों का जिन्होंने उम्मीदवार का मूल्यांकन किया हो। अतः न्यायालय का कार्य केवल यह जांच करना है कि मेडिकल बोर्डों द्वारा उम्मीदवार का मूल्यांकन करने का तरीका और मेडिकल बोर्डों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विश्वास जगाता है या विधि, प्रक्रिया या निष्पक्षता के किसी स्थापित मानदंड का उल्लंघन करता है। यदि ऐसा

नहीं है, तो न्यायालय स्वयं अभिलेख में मौजूद सामग्री की जांच करके इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि क्या उम्मीदवार संबंधित बीमारी से पीड़ित है या नहीं, इस पर बहस करना चिकित्सा बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील सुनने के बराबर होगा, जो विधि में अनुमत नहीं है।

(iv) वे परिस्थितियाँ जिनमें न्यायालय चिकित्सा बोर्ड या समीक्षा चिकित्सा बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की परीक्षा के अंतिम परिणाम में वैध रूप से हस्तक्षेप कर सकता है, सीमित

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हैं, लेकिन अच्छी तरह से परिभाषित हैं। इनमें से कुछ को निम्नानुसार गिना जा सकता है:

(ए) परीक्षा के दौरान पालन की जाने वाली निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हस्तक्षेप का वैध आधार है। यदि उम्मीदवार की परीक्षा लागू दिशानिर्देशों या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुई है, तो परीक्षा और उसके परिणाम स्वतः ही अमान्य हो जाएंगे।

(बी) यदि डीएमई और आरएमई, या अपीलीय चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों में उल्लेखनीय अंतर हो, तो हस्तक्षेप उचित हो सकता है। इसमें न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि “अंतर” किसे माना जाए। उदाहरण के लिए, यदि डीएमई को उम्मीदवार में तीन चिकित्सीय स्थितियाँ पाई जाती हैं, जबकि आरएमई या अपीलीय चिकित्सा बोर्ड को तीन में से केवल एक ही स्थिति पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति को अंतर नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि उम्मीदवार को डीएमई और आरएमई या अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा एक साथ पाई गई स्थिति के कारण अयोग्य घोषित किया गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उक्त स्थिति के अस्तित्व के संबंध में डीएमई और आरएमई या अपीलीय चिकित्सा बोर्ड के मतों में एकरूपता है। ऐसी परिस्थिति में, न्यायालय सामान्यतः यह स्वीकार करेगा कि उम्मीदवार उक्त स्थिति से पीड़ित था। इसके बाद, चूंकि यह मुद्दा कि क्या उक्त शर्त उम्मीदवार को बल से बाहर करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है, ऐसा पहलू नहीं है जो न्यायालय के विचारणीय होगा, इसलिए उम्मीदवार की याचिका खारिज करनी होगी।

(सी) यदि स्थिति ऐसी है जिसके लिए विशेषज्ञ की राय आवश्यक है, और उम्मीदवार की परीक्षा लेने वाले बोर्डों में कोई विशेषज्ञ नहीं है, तो हस्तक्षेप का मामला बनता है। इस स्थिति में, हालांकि, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना

7

होगा कि स्थिति ऐसी है जिसके लिए विशेषज्ञ द्वारा जांच आवश्यक है। उदाहरण के लिए, बवासीर या त्वचा पर घाव, जो किसी भी चिकित्सक को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और आंतरिक अस्थि विकृति, जिसके लिए रेडियोग्राफिक जांच और विश्लेषण की आवश्यकता हो सकती है, या नेत्र संबंधी विकार के बीच अंतर किया जा सकता है। यदि किसी ऐसी चिकित्सीय स्थिति का प्रमाण, जिसके लिए सामान्यतः विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, केवल ऐसे चिकित्सा बोर्डों द्वारा दिया जाता है जिनमें कोई विशेषज्ञ शामिल नहीं है, तो न्यायालय किसी विशेषज्ञ द्वारा या किसी विशेषज्ञ को शामिल करने वाले बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पुनः जांच कराने का निर्देश देने के लिए उचित होगा। यह स्थिति तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब उम्मीदवार ने स्वयं किसी विशेषज्ञ से संपर्क किया हो और उसने उसके पक्ष में राय दी हो।

(डी) यदि चिकित्सा बोर्ड, चाहे वह डीएमई हो, आरएमई हो या अपीलीय चिकित्सा बोर्ड हो, स्वयं ही उम्मीदवार को किसी विशेषज्ञ या अन्य अस्पताल या चिकित्सक के पास राय के लिए भेजता है, भले ही वह राय बाध्यकारी न हो, तो चिकित्सा बोर्ड को उस राय को अस्वीकार करने और उसके विपरीत निर्णय देने के कारण बताने होंगे। अतः, यदि उम्मीदवार किसी विशेष बीमारी से पीड़ित है या नहीं, इस पहलू पर प्रतिवादी स्वयं ही उम्मीदवार को किसी अन्य चिकित्सक या अस्पताल के पास भेजते हैं, और उक्त चिकित्सक या अस्पताल की राय उम्मीदवार के पक्ष में होती है, तो यदि चिकित्सा बोर्ड उक्त चिकित्सक या अस्पताल के निर्णय को स्वीकार न करने के कोई कारण बताए बिना ही उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देता है, तो हस्तक्षेप का मामला बनता है।

(ई) इसी प्रकार, यदि चिकित्सा बोर्ड रेडियोग्राफिक या अल्ट्रासोनोलॉजिकल परीक्षण जैसी विशेषज्ञ जांचों का अनुरोध करता है, तो चिकित्सा बोर्ड उक्त परीक्षाओं के परिणामों को अनदेखा नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है, तो हस्तक्षेप का मामला बनता है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(एफ) यदि उम्मीदवार की चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने के तरीके को नियंत्रित करने वाले लागू दिशानिर्देश, नियम या विनियम हैं, तो यदि डीएमई या आरएमई निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो हस्तक्षेप का स्पष्ट मामला बनता है।

(v) संबंधित उम्मीदवार द्वारा निजी या यहां तक कि सरकारी अस्पतालों से प्राप्त राय, मामले को पुनःपरीक्षा के लिए भेजने का वैध आधार नहीं हो सकती। साथ ही यदि स्थिति ऐसी है कि इसकी आवश्यकता है तो यदि चिकित्सा बोर्ड और समीक्षा चिकित्सा बोर्ड में ऐसे विशेषज्ञ शामिल नहीं हैं, तो न्यायालय उम्मीदवार को किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञ युक्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षा कराने का निर्देश देने के लिए न्यायसंगत हो सकता है। ऐसा निर्देश देते समय, न्यायालय

8

ऐसे विशेषज्ञ की राय पर भरोसा कर सकता है, भले ही वह उम्मीदवार द्वारा निजी तौर पर प्राप्त की गई हो। हालांकि, यह दोहराया जाता है कि यदि मेडिकल बोर्ड या समीक्षा मेडिकल बोर्ड में ऐसे डॉक्टर शामिल हैं जो पर्याप्त रूप से सुसज्जित और योग्य हैं तो यदि उम्मीदवार की स्थिति पर कोई राय दी जाती है, तब उम्मीदवार द्वारा अपनी इच्छा से प्राप्त की गई बाहरी चिकित्सा राय, भले ही वह उसके लिए एफडीएमई या आरएमई के निष्कर्ष अनुकूल हो और विपरीत हो, उम्मीदवार को नए सिरे से चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजने का औचित्य साबित नहीं करेंगे।

(vi) अनेक मामलों में “उपचारयोग्यता” का पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ चिकित्सीय स्थितियाँ उपचारयोग्य हो सकती हैं। न्यायालय को ऐसे मामलों से निपटते समय सतर्क रहना चाहिए। यदि लागू नियमों या दिशा-निर्देशों में स्वयं ही यह निर्दिष्ट हो कि ऐसी स्थिति अपने अस्तित्व मात्र से ही उम्मीदवार को अयोग्य बना देती है, तो न्यायालय उपचारयोग्यता के पहलू को अस्वीकार कर सकता है। यदि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और उपचार से स्थिति ठीक हो सकती है, तो मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय यह राय दे सकता है कि समीक्षा चिकित्सा बोर्ड को उम्मीदवार को अपनी स्थिति का उपचार कराने और ठीक होने का अवसर देना चाहिए था। यद्यपि, न्यायालय अपने विवेक से ऐसा नहीं कर सकता। न्यायालय अपनी इच्छा से, रोग के उपचार की संभावना या उम्मीदवार को रोग से उबरने का अवसर देने की सलाह के संबंध में कोई चिकित्सीय राय नहीं दे सकता। ऐसा निर्णय तभी लिया जा सकता है जब किसी ऐसे स्रोत से आधिकारिक चिकित्सीय राय प्राप्त हो, जिससे प्रतिवादियों ने स्वयं राय मांगी हो या उम्मीदवार का भेजा हो, कि रोग का उपचार संभव है। ऐसे मामले में, यदि समीक्षा चिकित्सा बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की योग्यता पर निर्णय देने के लिए कोई बाध्यकारी समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो न्यायालय किसी विशेष मामले में, उम्मीदवार को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर दिए जाने के बाद, उसकी पुनः जांच का निर्देश दे सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समीक्षा चिकित्सा बोर्ड का प्रावधान अयोग्य उम्मीदवारों को स्वयं को योग्य साबित करने का अवसर देने के लिए नहीं है, बल्कि केवल उम्मीदवार का मूल्यांकन करने वाले प्रारंभिक चिकित्सा बोर्ड के निर्णय की सत्यता को सत्यापित करने के लिए है।

(vii) न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र हमेशा संबंधित उम्मीदवार की चिकित्सा जांच तक ही सीमित होना चाहिए। न्यायालय को यह टिप्पणी करने का भी पूर्णतः निषेध है कि उम्मीदवार जिस चिकित्सा अक्षमता से पीड़ित है, वह ऐसी नहीं है जिससे संबंधित बल के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न हो। उम्मीदवार की चिकित्सा स्थिति को देखते हुए, बल के सदस्य के रूप

9

में कार्य करने के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन पूरी तरह से बल के सदस्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि केवल वे ही उस कार्य की प्रकृति से अवगत हैं जो

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उम्मीदवार को नियुक्त होने पर करना होगा, और उक्त कार्य को करने की उनकी क्षमता से भी अवगत हैं। दूसरे शब्दों में, एक बार न्यायालय यह पाता है कि संबंधित उम्मीदवार किसी विशेष बीमारी से पीड़ित है, इस निर्णय में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। न्यायालय एक कदम भी आगे बढ़कर यह जांच नहीं कर सकता कि क्या वह बीमारी ऐसी है जो उम्मीदवार को संबंधित बल के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य बनाती है।

(प्रभाव दिया गया)

9. उपरोक्त निर्णय के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप सामान्यतः अनुचित है, क्योंकि अनुशासित बलों में भर्ती के लिए चिकित्सा योग्यता के मानक सख्त हैं और विशेषज्ञ मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। न्यायालय, चिकित्सकीय और तकनीकी रूप से ऐसे निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन करने में सक्षम न होने के कारण, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्डों की राय का सम्मान करें और केवल तभी हस्तक्षेप करें जब प्रक्रिया, स्थापित विधि या निष्पक्षता के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हो। निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी उम्मीदवार द्वारा निजी या सरकारी अस्पताल से अपनी मर्जी से प्राप्त राय, डीएमई और आरएमई की टिप्पणियों की बर्खास्तगी और/या समीक्षा की मांग के लिए वैध आधार नहीं हो सकती।

10. वर्तमान मामले के तथ्यों पर गौर करें तो, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी दोनों आंखों में 6/9 की दृष्टि दोष के कारण अयोग्यता के आधार पर चिकित्सकीय रूप से खारिज कर दी गई थी, जिसे डीएमई और आरएमई दोनों ने सर्वसम्मति से बरकरार रखा है। चरक पालिका अस्पताल से प्रस्तुत नेत्र परीक्षण अभिलेख भी पुनर्विचार का औचित्य नहीं दर्शाता है। अतः, हम पाते हैं कि न्यायिक हस्तक्षेप के लिए अमन सिंह (उपरोक्त) में निर्धारित कोई भी शर्त वर्तमान मामले में पूरी नहीं होती है।

11. चूंकि डीएमई और आरएमई दोनों ने एक साथ यह माना है कि याचिकाकर्ता की दोनों आंखों की दृष्टि 6/9 है, जबकि भर्ती के लिए कम से कम एक आंख की दृष्टि 6/6 होना अनिवार्य है। अतः, हम याचिकाकर्ता को इस याचिका में मांगी गई किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं पाते हैं।

12. तदनुसार याचिका खारिज की जाती है।

12. जहां तक विशेष अपील संख्या 597 सन् 2025 (संजीव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य) में पारित अंतरिम आदेश के संबंध में दिए गए निर्णय पर भरोसा करने और उसका संदर्भ

10

देने का सवाल है, यह रिट याचिकाकर्ता के लिए किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि मामला अलग था और विशेष अपील संख्या 597 सन् 2025 (संजीव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य) और रिट-ए संख्या 226 सन् 2026 (संजय कुमार वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य) के निर्णयों के संबंध में भी ऐसा ही मुद्दा है। चूंकि वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अलावा डीएमई और आरएमई की रिपोर्टों पर संदेह करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे डीएमई और आरएमई की रिपोर्टों पर अविश्वास करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

13. तदनुसार, हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं बनता, अतः रिट याचिका यथावत खारिज की जाती है।

14. आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में दर्ज कर लिए गए हैं और परिशिष्ट ए के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



16 फरवरी, 2026

राख

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"